

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 37/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि.... (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जिसे सा.का.नि. 153 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2011, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और तत्संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“25क.	4101 20 10, 4101 20 90, 4101 50 10, 4101 50 90, 4101 90 10, 4101 90 90, 4102, या 4103	कच्ची खाल और चर्म या कच्चा चर्म (भैंस की कच्ची खाल और चर्म को छोड़कर)	40%
25ख.	4101 20 20, 4101 50 20, या 4101 90 20	भैंस की कच्ची खाल और चर्म	30%
25ग.	4104	ई. आई. टैन चर्म के अलावा गोजातीय (भैंस सहित) या अश्व पशुओं की टैन या क्रस्ट खाल और चर्म	20%
25घ.	4105	ई. आई. टैन चर्म के अलावा भेड़ या मेमनों की टैन या क्रस्ट चर्म	20%

25ड.	4106	ई. आई. टैन चर्म के अलावा अन्य जानवरों की टैन या क्रस्ट खाल और चर्म	20%
25च.	4104, 4105, या 4106	ई. आई. टैन चर्म	शून्य
25छ.	41	बकरी, भेड़ और गोकुलीय पशुओं और उनके मेमनो के परिसज्जित चर्म	शून्य
25ज.	4301	कच्ची फरस्किन	40%
25झ.	4302	टैन या सजी हुई फरस्किन	20%";

(ii) क्रम संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38क, 38ख, 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होगी ।

[फाइल सं. 334/03/2024-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011 को सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 03 मई, 2024, जिसे सा.का.नि. 269 (अ), दिनांक 03 मई, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।